न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 135/2014 एल.आर.एक्ट

1. नत्थूराम पुत्र स्व. मुंशीराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. शंकरलाल पुत्र स्व. मुशीराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
3. श्रीमती गिरदावरी पत्नी स्व. गिरधारीलाल
4. भगतराम पुत्र स्व. गिरधारीलाल
5. रामस्वरुप पुत्र स्व. गिरधारीलाल
6. इन्द्रा पुत्री स्व. गिरधारीलाल

जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट्स

.....

बनाम

1. ग्राम पंचायत बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ।
2. जगजीतसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति मजहबी निवासी दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट आफ राजस्थान ज़रिये तहसीलदार सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

.....रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री सुरेश मोहता – अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री नायबसिंह – अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02
3– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 23.4.2019

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड न्यायालय सादुलशहर द्वारा प्रथम अपील सं0 202/2010 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 13.2.2014, जिसके द्वारा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की गयी एवं चक 6बीजीएस का इन्तकाल सं0 367/20.12.09 विधिसम्मत घोषित किया गया, के विरुध्द यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट सं0 1–2 के पिता स्व. मुंशीराम को बतौर नॉन क्लेमेंट जीवों के आधार पर चक 6 बीजीएस तहसील सादुलशहर के मुरब्बा सं0 37 में 15 बीघा नहरी भूमि का आवंटन किया गया । मुंशीराम का देहान्त होने के बाद उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट सं0 1 व 2 व 3 व 6 के पिता स्व. गिरधारीलाल द्वारा दिनांक 21.8.96 को दस्तावेज दस्तबरदारी लिखकर अपना विरास्तन हिस्सा माता सजना देवी बेवा मुंशीराम जाति नायक निवासी बनवाली के पक्ष में हक त्याग किया गया एवम् विवादित भूमि का विरास्तन इन्तकाल अकेली सजना बेवा मुंशीराम के नाम से दर्ज हो गया । प्रकरण में उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट सं0 1 व 2 व 3 व 6 के पिता स्व. गिरधारीलाल द्वारा एवम् इनकी माता सजना देवी द्वारा दिनांक 3.1.1996 को दस्तावेज इकरारनामा बैय बहक रेस्पोन्डेंट सं02

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जीतसिंह पुत्र प्रेमसिंह मजहबी निवासी दलियांवाली तहसील सादुलशहर के पक्ष में तथा दिनांक 19.2.97 को अपीलान्ट सं0 1–2 की माता सजनादेवी द्वारा गुरजन्टसिंह पुत्र लालसिंह पुत्र सस्न्तोखसिंह नि0 दलियांवाली को अपना मुखत्यारआम स्वीकार करने पर गुरजन्टसिंह द्वारा दिनांक को रेस्पोन्डेंट सं02 जगजीतसिंह उर्फ जीतासिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति मजहबी निवासी दलियांवाली तहसील सादुलशहर के पक्ष में जरिये पंजीकृत बैयनामा से विवादित भूमि का बेचान कर दिया गया है । उक्त दस्तावेज बैयनामा के आधार पर ग्राम पंचायत बनवाली तहसील सादुलशहर द्वारा रेस्पोन्डेंट सं02 के पक्ष में बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 367 दिनांक 20.1.2009 स्वीकृत कर दिया गया । सरपंच, ग्राम पंचायत बनवाली द्वारा स्वीकृत किये गये उक्त बैयनामा नामान्तरकरण सं0 367 दिनांक 20.12.2009 के अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष प्रथम अपील सं0 202/2010 पेशी की गयी, जो निर्णय दिनांक 13.2.2014 द्वारा अस्वीकृत किया जाने पर उक्त निर्णय के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील पेश की गयी है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोन्डेंट को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया । प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।
4. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखत बहस प्रस्तुत कर मुख्य रुप से अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलान्ट्स के पिता स्व. मुंशीराम को जीवों के आधार पर आवंटित हुई थी, जिसमें अपीलान्ट सं0 1 व 2 तथा 3 ता 6 के पिता स्व. गिरधारीलाल का नाम दर्ज था । मुंशीराम के देहान्त के पश्चात वारिसनामा का वाद सं0 12/1990 डीआरओ गंगानगर के समक्ष पेश किया गया, जिसमें निर्णय दिनांक 18.4.91 पारित होने के पश्चात वारिसान के नाम से हिस्सा अनुसार सनद सं0 3723/30.5.91 जारी की गयी। अपीलान्ट्स आवंटन के समय से परिवार का हिस्सा रहे हैं । किन्तु गुरजन्टसिंह नाम के व्यक्ति द्वारा भूमि हड़पने की नीयति से हिस्सा ठेके के बहाने माता सजनादेवी से कूटरचित मुखत्यारनामा आम तैयार करवा लिया और उसके द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 7.12.09 द्वारा उक्त विवादित भूमि का रेस्पोन्डेंट सं02 जगजीतसिंह उर्फ जीतासिंह के पक्ष में बेचान कर दिया । जबकि विवादित भूमि का माता सजनादेवी के नाम से नामान्तरकरण दर्ज होने के पश्चात उनके द्वारा अपीलान्ट सं0 1 व 2 तथा 3 ता 6 के पिता स्व. गिरधारीलाल हक में दिनांक 30.11.09 को वसीयत का भी निष्पादन किया गया है । प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना बैयनामा का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है । अपीलान्ट्स द्वारा मुखत्यारआम के विरुध्द एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें पुलिस द्वारा एफ.आर लगादी गयी, किन्तु न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त गुरजन्टसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 420 आईपीसी. में तलब किया गया है । प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय के समक्ष दावा सं0 37/10 विचाराधीन चल रहा है । अतः दावे के निर्णय तक विचारण न्यायालाय की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.2.14 एवं बैयनामा का इन्तकाल सं0 367 दिनांक 20.12.09 निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे एवं नामान्तरकरण कीप इन अबेयन्स रखा जावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में नजीर 2015 डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 107 अवलोकनीय बताया ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 2 ने फॉर्म नं03 में दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि रेस्पोन्डेंट सं02 के द्वारा वाद गत भूमि चक 6बीजीएस तहसील सादुलशहर की 15 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 7.12.09 से खरीद की गयी है । उक्त आराजी की दिनांक 3.1.1996 को अपीलान्ट्स स्वयं एवम् उनकी माता सजनादेवी द्वारा इकरारनामा किया जाकर रकम प्राप्त की गयी थी । अपीलान्ट्स द्वारा अपनी माता स्व. सजनादेवी के नाम से दस्तावेज दस्तबरदारी लिखकर अपना हिस्सा छोड़ने के पश्चात विवादित भूमि अपीलान्ट्स की माता सजनादेवी के नाम से जरिये विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने के पश्चात अपीलन्ट्स की माता ने मुखत्यारनामा स्वयम् द्वारा किया गया था। रेस्पोन्डेंट सं02 के अभिभाषक ने आगे बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा मजमे आम में बैयनामा इन्तकाल दर्ज किया तथा रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर दर्ज किये जाने वाले नामान्तरकरण में विक्रेता को सुना जाना आवश्यक नहीं है । प्रकरण में सजनादेवी द्वारा दिनांक 7.12.09 को आराजी का बेचान किया गया है, यदि उससे पहले कोई वसीयत की है तो वह स्वतः निष्प्रभावी हो जावेगी । रेस्पोन्डेंट सं02 द्वारा पंजीकृत बैयनामा की प्रति सरपंच, ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करने पर नियमानुसार बैयनामा का इन्तकाल सं0 367 दिनांक 20.12.09 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय सादुलशहर द्वारा प्रथम अपील सं0 202/2010 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 13.2.14 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 10.9.14 को इस न्यायालय में प्रस्तत की गयी है, जो 60 दिवस अपील प्रस्तुत करने की अवधि कम करने के पश्चात 148 दिवस विलम्ब से पेश की गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो कारण अभिलिखित किये हैं एवं उसके समर्थन में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसे सही मानते हुए न्याय हित में विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील को मियाद में सुमार किया जाता है ।

7. अपील में उभय पक्ष की बहस एवम् अभिलेख के अवलोकन अनुसार न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. प्रकरण अनुसार विवादित भूमि चक 6बीजीएस तहसील सादुलशहर की 15 बीघा नहरी भूमि कस्टोडियन विभाग द्वारा मुंशीराम के नाम से आवंटन हुई है तथा मुंशीराम के देहान्त के पश्चात विवादित भूमि अपीलन्ट्स व अपीलान्ट्स की माता सजना देवी के नाम से विरास्तन आने पर अपीलान्ट सं0 1 व 2 व 3 ता 6 के पिता गिरधारीलाल द्वारा अपना विरास्तन हक व हिस्सा जरिये दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 21.8.96 द्वारा रुबरु गवाहान अपनी माता के पक्ष में हक त्याग किया गया है एवम् इससे पूर्व दिनांक 3.1.96 को अपीलान्ट्स की माता स्व.सजना देवी एवम् अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोन्डेंट सं02 जगजीतसिंह उर्फ जीतसिंह के पक्ष में दस्तावेज इकरारनामा बैय निष्पादित किया गया है, जो नोटेरी से प्रमाणित है । तत्पश्चात रिकॉर्ड अनुसार सजना देवी पत्नी स्व. मुंशीराम द्वारा दिनांक 19.2.97 को गुरजन्टसिंह के पक्ष में मुखत्यारनामा आम निष्पादित करने के पश्चात गुरजन्टसिंह द्वारा रेस्पोन्डेंट सं02 जगजीतसिंह उर्फ जीतसिंह पुत्र प्रेमसिंह के पक्ष में पंजीकृत बैयनामा दिनांक 7.12.09 से विवादित भूमि का बेचान किया गया है । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा नजीर 2015 डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 107 प्रस्तुत कर यह कथन कि उपखण्ड न्यायालय

क्षेत्रीय आयुक्त
बीकानेर

सादुलशहर में दावा संख्या 37/2010 विचाराधीन था, अतः दावे के विचाराधीन रहने से विचारण न्यायालय को बैयनामा नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी । उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि सरपंच, ग्राम पंचायत बनवाली द्वारा बैयनामा का नामान्तरकरण सं0 367 दिनांक 20.12.09 को स्वीकृत किया गया है तथा अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड न्यायालय सादुलशहर में राजस्व वाद दिनांक 13.4.2010 को पेश किया गया है, इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा बैयनामा नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात अपीलान्ट्स द्वारा दावा पेश किया गया है । अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गयी नजीर इस प्रकरण में लागू नहीं होती है । प्रकरण में राजस्व वाद विचाराधीन होने के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया सिविल वाद सं0 17/16 भी निरस्त हो चुका है । अतः उक्त प्रकरण में राजस्व वाद के निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही सम्पन्न होगी । प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत बनवाली, तहसील सादुलशहर द्वारा पंजीकृत बैयनामा के आधार पर बैयनामा नामान्तरकरण सं0 367 दिनांक 20.12.09 स्वीकृत किया गया है, वह विधिसम्मत होने से उसमें कोई परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः उपखण्ड न्यायालय सादुलशहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.2.14 एवं बैयनामा का नामान्तरकरण यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है ।

9. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.4.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर